



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section—3 Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33]
No. 33]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 15, 1996/पौष 25, 1917
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 15, 1996/ PAUSA 25, 1917

उद्योग मंत्रालय
(लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1996

का० आ० 44(अ) :—कयर उद्योग नियम, 1954 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 26 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उप-खंड (2), तारीख 14 सितंबर, 1995 में भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 784(अ) तारीख 14 सितंबर, 1995 के अधीन प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे।

और उक्त प्रारूप के संबंध में, उक्त अवधि के भीतर जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ था।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम कयर उद्योग (संशोधन) नियम, 1996 है।
2. कयर उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) के वर्ग (छ) में "6" अंक के स्थान पर "10" अंक रखा जाएगा।

[फा० सं० 6(5)/94-कयर]

ब्रह्म दत्त, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :—अधिसूचना सा० का० नि० 2226 तारीख 6-7-54 में निम्नलिखित के तहत संशोधन किये गये हैं :—

का० नि० आ० 973	तारीख 29-4-1955
का० नि० आ० 3669	तारीख 17-12-1955
का० नि० आ० 3983	तारीख 12-12-1955
का० नि० आ० 877	तारीख 9-4-1960
सा० का० नि० 1088	तारीख 18-6-1963
का० आ० 1744	तारीख 6-5-1967
का० आ० 1983	तारीख 21-7-1969
सा० का० नि० 1122	तारीख 9-7-1976
सा० का० नि० 1588	तारीख 28-9-1976
सा० का० नि० 2498	तारीख 30-5-1983
सा० का० नि० 390(अ)	तारीख 22-3-1990
सा० का० नि० 694(अ)	तारीख 30-7-1992
सा० का० नि० 832(अ)	तारीख 29-10-1992
का० आ० 784(अ)	तारीख 14-9-1995

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 1996

S.O. 44(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Coir Industry Rules, 1954, was published as required by Sub-section (1) of Section 26 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953) under the Notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries) No. S. O. 784(E) dated the 14th September, 1995, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 14th September, 1995, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of 45 days from the date of the publication of the said Notification in the Official Gazette.

And whereas no objection or suggestion was received from the public on the said draft, within the said period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 26 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

RULES

1. These rules may be called the Coir Industry (Amendment) Rules, 1996.
2. In the Coir Industry Rules, 1954, in rule 4, in sub-rule (1), in category (g), for the figure "6", the figures "10" shall be substituted.

[F. No. 6(5)/94-Coir]
BRAHM DUTT, Jt. Secy.

FOOT NOTE—Notification S.R.O. 2226 dated 6-7-54 has been amended vide :

S.R.O. 973	dt. 29-4-1955
S.R.O. 3669	dt. 17-12-1955
S.R.O. 3983	dt. 12-12-1955
S.R.O. 877	dt. 9-4-1960
G.S.R. 1088	dt. 18-6-1963
S.O. 1744	dt. 6-5-1967
S.O. 2983	dt. 21-7-1969
G. S.R. 1122	dt. 9-7-1976
G.S.R. 1588	dt. 28-9-1976
G.S. R. 2498	dt. 30-5-1983
G. S.R. 390(E)	dt. 22-3-1990
G.S.R. 694(E)	dt. 30-7-1992
G.S.R. 832(E)	dt. 29-10-1992
S.O. 784(E)	dt. 14-9-1995

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1996

का० आ० 45(अ).—केन्द्र सरकार, कयर उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 और 5 के उपनियम (1) के साथ पठित कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा गामीण उद्योग विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 582(अ), तारीख 27 जून, 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में क्रम सं० 26 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:—

27. श्री० पी० एम् थोमस,
अलापट पलाथिंगल वीडु,
शोरानूर रोड,
त्रिचुर, केरल
28. श्री अझाकेसन एन,
"कैलासम" कूटिकड़ा,
माय्यानाडु,
कोलम जिला, केरल
29. श्री ई० बी० उन्नी,
अस्मिनवाल एंड कंपनी लि०,
कोचीन, केरल
30. श्री एम० कल्याणसुन्दरम,
कांति फ्लोर फर्नीशर्स,
पोस्ट बॉक्स नं० 54,
एलेप्पी, केरल

[फा० सं० 6(5)/94-कयर]
ब्रह्म दत्त, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 1996

S.O. 45(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953) read with rule 4 and sub-rule (1) of rule 5 of the Coir Industry Rules, 1954, the Central Government hereby makes the following amendments in the Notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries) No. S. O. 582 (E) dated the 27th June, 1995, namely:—

In the said Notification after Serial No. 26 and the entry relating thereto, the following serial numbers and entries shall be added namely:—

27. Shri P. M. Thomas
Alappat Palathingal Veedu
Shoranur Road,
Trichur, Kerala
28. Shri Azhakesan N.
'Kailasam' Kootikada,
Mayyanadu, Kollam District,
Kerala

29. Shri E. B. Unni,
Aspinwall & Co. Ltd.,
Cochin, Kerala
30. Shri M. Kalyansundaram,
Kanthi Floor Furnishers,
Post Box No. 54,
Alleppey, Kerala

[F. NO. 6(5)/94-Coir]
BRAHM DUTT, Jt. Secy.